

प्रेस नोट थाना कोतवाली गोरखपुर दिनांक 11.06.2022

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप मे फरार चल रहा 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा गठित पुलिस टीम के उ०नि० विनय कुमार सिंह मय हमराह कां० अनिल कुमार व कां० अशोक कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० ०१६/२०२० धारा ३६३,३६६,३७६६,३७६६ भादवि व ५/६ पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त किरन प्रकाश लौंडे पुत्र प्रकाश राजाराम लौंडे निवासी राजू की दुकान शेषपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर स्थाई पता वस्तवडे थाना ताशगांव जनपद शांगली महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है एनबीडब्लू प्राप्त किया जा चुका था। फिर भी हाजिर नहीं हो रहा था लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। जिसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पूर्व में २५,००० रु० का इनाम घोषित किया जा चुका है फिर भी लगातार फरार चल रहा था की तलाश के दौरान आज दिनांक ११.०६.२०२२ समय १०.२० बजे गिरफ्तार किया गया। विवरण निम्नवत है -

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

किरन प्रकाश लौंडे पुत्र प्रकाश राजाराम लौंडे निवासी राजू की दुकान शेषपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर स्थाई पता वस्तवडे थाना ताशगांव जनपद शांगली महाराष्ट्र

अभियुक्त के गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक ११.०६.२०२२ को समय १०.२० बजे घण्टाघर निकट जामा मस्जिद थाना कोतवाली गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० १६/२०२० धारा ३६३,३६६,३७६६,३७६६ भादवि व ५/६ पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

१. उ०नि० विनय कुमार सिंह थाना कोतवाली, गोरखपुर
२. का० अनिल कुमार थाना कोतवाली, गोरखपुर
३. कां० अशोक कुमार थाना कोतवाली, गोरखपुर